



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270018  
CG-DL-E-10022026-270018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]  
No. 115]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

सं. 03/2026- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 121(अ).— जहां कि यूरोपीय संघ और सऊदी अरब (एतशिमन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो” (एतशिमन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतशिमन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 7/14/2024-डीजीटीआर, दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य वातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में डंपिंग जारी रहने और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है, और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 27 अप्रैल, 2021 जिसे सा.का.नि. 297 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

### सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	निर्माता	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29291020*	“टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर कंटेट 80:20 के अनुपात में है”**	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोवेस्ट्रो छ्यूटसल और एजी	221.04	एमटी	यूएसडी
2.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	बोर्सोडकेम ज़र्ट	102.05	एमटी	यूएसडी
3.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	264.96	एमटी	यूएसडी
4.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देशों को छोड़कर कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	264.96	एमटी	यूएसडी
5.	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सदारा केमिकल कंपनी	217.55	एमटी	यूएसडी

6.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	उपरोक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	344.33	एमटी	यूएसडी
7.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देशों को छोड़कर कोई देश	सऊदी अरब	कोई	344.33	एमटी	यूएसडी

\*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और विषयगत वस्तुओं पर बाध्यकारी नहीं है।

\*\* इस जांच में विचारधीन उत्पाद टीडीआई है जिसमें आइसोमर कंटेट (80:20) के अनुपात में है। अन्य सभी ग्रेड विषयगत वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190349/6/2026—टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2026

### No. 03/2026-Customs (ADD)

**G.S.R. 121(E).**— Whereas, in the matter of “Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2929 10 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from European Union and Saudi Arabia (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1 *vide* notification No. 7/14/2024-DGTR, dated the 12<sup>th</sup> November, 2025 has *inter alia* come to the conclusion that there is a likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty in force, and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2021-Customs (ADD), dated the 27<sup>th</sup> April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 297(E), dated the 27<sup>th</sup> April, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per the unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:—

TABLE

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29291020*	“Toluene DiIsocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”**	European Union	Any country including European Union	Covestro Deutschland AG	221.04	MT	US\$
2	-do-	-do-	-do-	-do-	Borsod Chem Zrt	102.05	MT	US\$
3	-do-	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 1 & 2 above	264.96	MT	US\$
4	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	European Union	Any	264.96	MT	US\$
5	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	217.55	MT	US\$
6	-do-	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 5 above	344.33	MT	US\$
7	-do-	-do-	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	Saudi Arabia	Any	344.33	MT	US\$

\* Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the subject goods.

\*\* The subject goods in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of subject goods.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded, or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.** – For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190349/6/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.